**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3613**
**(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

## महिलाओं के लिए वित्तीय योजना

**3613. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मकान बनाने अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करके उनके सशक्तिकरण की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास इससे लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या का कोई अनुमान है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)**

**उत्तर (क) से (घ):** ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) भारत सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रमों - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आदि के कार्यान्वयन में संलग्न है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं।

**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी):**

पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधायुक्त 4.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण के संचयी लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 3.33 करोड़ आवास आवंटित करने का लक्ष्य दिया गया है जिनमें से 3.22 करोड़ आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 2.68 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका हैं।

पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों में विधवाओं , अलग रहने वाली महिलाओं , अविवाहित या ट्रांसजेंडर से जुड़े मामलों को छोड़कर महिलाओं के नाम पर या उनके पतियों के साथ संयुक्त रूप से आवासों की मंजूरी प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पीएमएवाई-जी के तहत सभी आवासों के स्वीकृति ब्यौरे/स्वामित्व ब्यौरे (या तो अकेले या संयुक्त स्वामित्व में) में परिवार की महिला सदस्यों के नाम शामिल होने चाहिए और ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक स्वीकृति पहले से ही पुरुष सदस्य के नाम पर दी गई है , महिला सदस्य(ओं) को स्वीकृति पत्रों में द्वितीयक स्वामी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। दिनांक 13 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार कुल निर्मित 2.68 करोड़ आवासों में से 72,65,822 आवास पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं और 1,22,47,493 आवास संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर अर्थात पीएमएवाई-जी के तहत कुल निर्मित आवासों में से 1,95,13,315 (73%) आवास महिलाओं के नाम पर हैं। इसके अलावा पीएमएवाई-जी की महिला लाभार्थी आजीविका और रोजगार के अवसरों के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी हुई हैं।

**दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):**

डीएवाई-एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋणों का उपयोग करते हैं। इस मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को कुल 9.74 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा , डीएवाई-एनआरएलएम ने देश भर में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है।

*****